

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान— बीकानेर

## कार्यालय—आदेश

श्री भीखा राम भाम्बी प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल इन्दावड़ (नागौर) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय, नागौर एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा अभियान,नागौर की अभिशंषा पर दिनांक 25.01.19 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रूपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो मासिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्री भीखा राम भाम्बी प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल इन्दावड़ (नागौर) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर ) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—मा/संस्थॉ/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 14-02-19

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा अभियान,नागौर।
2. प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल इन्दावड़ (नागौर)।
3. श्री भीखा राम भाम्बा प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल इन्दावड़ (नागौर)।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर